न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री शीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–01/146/2023 ऑनलाईन नम्बर–2023/378 प्रवेश तिथि–31/07/2023

1. राजेश कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर। .....वादी

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहम्ण।
2. ब्रिजेश पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जाति ब्राहम्ण।
3. मुकेश पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जाति ब्राहम्ण।
4. सुरेश पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जाति ब्राहम्ण।
5. कान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री बनवारी लाल जाति ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।
6. राजस्थान सरकारर जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर। .....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0अ0 1955

उपस्थितः– :1. श्री मुकेश कुमार बैरवा एड0–वादी
2. श्री मनीष गुप्ता एड0–प्रतिवादी

दिनांक 13/01/2026

–:निर्णयः–

1. आज यह दावा तकसीम आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा तकसीम आराजी का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 104, खसरा नम्बर 239/1.2200, 241/0.1200, 242/0.0600, 246/825/0.1600, 250/2.000, 668/0.8800, 675/0.5800, कुल किता 7 कुल रकबा 5.0200 है0 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी 1/20 हिस्स व तथा शेष 19/20 हिस्सा प्रतिवादीगण मुताबिक जमाबन्दी शामलाती की आराजी है। उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से पर खातेदार काश्तकार है। हिस्से के काबिज रिकॉडेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी को लेकर आपस में काश्त को लेकर मुताबिक हिस्से को लेकर तनाजा रहता है और यदि प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए वादीगण मुतनाजा आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराकर खाता पृथक–पृथक किया जाये एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अन्त में दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण पैरोकार व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। वकुलाय की ओर से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तलब करने पर सहमति दी गई। हस्ब सहमति वकुलाय पर दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया गया एवं हाजा न्यायालय के पत्रांक क्रमांक/कुर्रेजात/कोर्ट/आर.ए./2023/610 दिनांक 11.10.2023 से TDR राजगढ से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गयी।

3. प्रकरण में तहसीलदार राजगढ के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/319 दिनांक 03.03.2025 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। बहस वकुलाय की सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकुलाय के द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट पर दावा डिक्री करने पर सहमति जाहिर की।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

4. मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2069–75 वाके वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर के अंकित इन्दाज से मुतनाजा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार द्वारा समस्त खातेदारान को नोटिस दिया जाकर रिपोर्ट तैयार की गयी है। रिपोर्ट अनुसार समस्त खातेदारान में मुताबिक जमाबंदी हिस्सा बटँवारा किया है तहसीलदार राजगढ द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट से वकुलाय भी सन्तुष्ट है। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट हस्ब राहगति वकुलाय के हस्ताक्षर आदेशिका पर कराए गए। दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जा:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलन:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षति:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह–काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने यावत् स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी खाता संख्या 104, खसरा नम्बर 239/1.2200, 241/0.1200, 242/0.0600, 246/825/0.1600, 250/2.000, 668/0.8800, 675/0.5800, कुल किता 7 कुल रकबा 5.0200 है0 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	राजेश कुमार पुत्र बनवारीलाल हिस्सा पुर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	241 मिन 675 मिन	0.04 0.19
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.23
2	कैलाश चन्द पुत्र रामजीलाल हिस्सा पुर्ण जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	250 मिन 668 मिन 675 मिन	1.56 0.44 0.37
		कुल किता 3	कुल रकबा 2.37
3	कैलाश चन्द पुत्र रामजीलाल व राजेश कुमार पुत्र बनवारी लाल हिस्सा ब0 हि0 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार।	675 मिन	0.02
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.02
4	कान्ति देवी पत्नी स्व0 बनवारीलाल हिस्सा 141/213, ब्रिजेश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 24/213, मुकेश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 24/213, सुरेश पुत्र बनवारीलाल हिस्सा 24/213 समस्त जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार।	239 मिन 241 मिन 250 मिन 668 मिन	1.19 0.06 0.44 0.44
		कुल किता 04	कुल रकबा 2.13
5	कैलाश चन्द पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/2 कान्ति देवी पत्नी स्व0 बनवारीलाल हिस्सा 3/10 ब्रिजेश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/20, मुकेश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/20, राजेश कुमार पुत्र बनवारीलाल हिस्सा 1/20, सुरेश पुत्र बनवारीलाल हिस्सा 1/20 समस्त जातियान ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार।	242 246/825 239 मिन 241 मिन	0.06 0.16 0.03 0.02
		कुल किता 4	कुल रकबा 0.27

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 03.03.2025 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद करें। इसी अनुसार पर्चा-डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12./01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री शीमा मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :–01 / 146 / 2023 ऑनलाईन नम्बर–2023 / 376 प्रवेश तिथि–31 / 07 / 2023

1. राजेश कुमार पुत्र बनवारी लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर। ....वादी

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र रामजीलाल जाति ब्राह्मण।
2. ब्रिजेश पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जाति ब्राह्मण।
3. मुकेश पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जाति ब्राह्मण।
4. सुरेश पुत्र स्व0 श्री बनवारी लाल जाति ब्राह्मण।
5. कान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री बनवारी लाल जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम अनावडा तहसील राजगढ जिला अलवर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर। ....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0अ0 1956

उपस्थित:– :1. श्री मुकेश कुमार बैरवा एड0–वादी
2. श्री मनीष गुप्ता एड0–प्रतिवादी

–:पर्चा डिक्री:– दिनांक 13 / 01 / 2026

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा *हाल आराजी खाता संख्या 104, खसरा नम्बर 239 / 1.2200, 241 / 0.1200, 242 / 0.0600, 246 / 825 / 0.1600, 250 / 2.000, 668 / 0.8800, 675 / 0.5800, कुल किता 7 कुल रकबा 5.0200 है0 वाके ग्राम अनावडा तहसील राजगढ* जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ जिला अलवर के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	राजेश कुमार पुत्र बनवारीलाल हिस्सा पुर्ण जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	241 मिन 675 मिन	0.04 0.19
		कुल किता 2	कुल रकबा 0.23
2	कैलाश चन्द पुत्र रामजीलाल हिस्सा पुर्ण जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	250 मिन 668 मिन 675 मिन	1.56 0.44 0.37
		कुल किता 3.	कुल रकबा 2.37
3	कैलाश चन्द पुत्र रामजीलाल व राजेश कुमार पुत्र बनवारी लाल हिस्सा ब0 हि0 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।	675 मिन	0.02
		कुल किता 1	कुल रकबा 0.02
4	कान्ति देवी पत्नी स्व0 बनवारीलाल हिस्सा 141 / 213, ब्रिजेश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 24 / 213, मुकेश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 24 / 213, सुरेश पुत्र बनवारीलाल हिस्सा 24 / 213 समस्त जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार।	239 मिन 241 मिन 250 मिन 668 मिन	1.19 0.06 0.44 0.44
		कुल किता 04	कुल रकबा 2.13

उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

5	कैलाश चन्द पुत्र रामजीलाल हिस्सा 1/2 कान्ति देवी पत्नी स्व0 बनवारीलाल हिस्सा 3/10 ब्रिजेश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/20, मुकेश पुत्र बनवारी लाल हिस्सा 1/20, राजेश कुमार पुत्र बनवारीलाल हिस्सा 1/20, सुरेश पुत्र बनवारीलाल हिस्सा 1/20 समस्त जातियान ब्राह्मण स्व0 देह खातेदार।	242 246/825 239 मिन 241 मिन कुल किता 4	0.06 0.16 0.03 0.02 कुल रकबा 0.27

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को वाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 03/03/2025 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि इसीस अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/01/2026 को तैयार की गई।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

सत्यमेव जयते
राजगढ़, जिला - अलवर (राज.)

तारीख हुक्म	**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	13/01/26 पत्रावली पेश हुई। उक्त मूलवाद का निस्तारण हो जाने के कारण धा. पत्र 212 की कार्यवाही भी ड्रोप की जाती है। साथ ही न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 31/7/23 को भी खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा रेकर्ड भण्डार हो। SDO